



उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,

लेखराज मार्केट-2, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016 (उ०प्र०)

टेलीफोन: 91-522-2324000/01, फॅक्स: 91-522-2344002, टोल फ्री: 18001805412

ई-मेल: upbocboardlko@gmail.com

::अधिसूचना::

उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ बनाई गई "प० दीन दयाल उपाध्याय चेतना योजना" पर शासन के पत्र संख्या- 33/2018/1777/36-2-201815(जी)/18 दिनांक 26.11.2018 द्वारा इस शर्त के साथ अनापत्ति प्रदान की गयी है कि योजना के संचालन में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त) अधिनियम 1996 एवं संगत नियमावली 2009 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। अनापत्ति के क्रम में योजना अधिसूचित की जाती है।

अतएव उक्त योजना तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रवर्तित व लागू की जाती है।

संलग्नक- उपर्युक्तानुसार।

(एस०पी० शुक्ल)
सचिव, बोर्ड।

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- 4296-97 /भ०नि०बोर्ड (1619)-2018

दिनांक - 28/11/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
2. श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, जी०टी० रोड, कानपुर।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
5. प्रमुख सचिव, श्रम अनुभाग-2 को उनके पत्र संख्या- 33/2018/1777/36-2-201815(जी)/18 दिनांक 26.11.2018 के क्रम में सूचनार्थ।
6. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) तथा जनपदीय प्रभारी श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को उपर्युक्त के साथ-साथ सम्यक प्रचार एवं प्रसार हेतु।
7. श्री प्रभात कुमार निगम, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, बोर्ड कार्यालय लखनऊ को वेबसाईट पर अपलोड एवं संशोधन करने हेतु प्रेषित।
8. गार्ड फाईल हेतु।

(एस०पी० शुक्ल)
सचिव, बोर्ड।

उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

1 योजना का नाम: – पं० दीन दयाल उपाध्याय चेतना योजना” ।

2 उद्देश्य :-

प्रायः यह देखा गया है कि उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ निर्माण श्रमिकों को जानकारी/जागरूकता के अभाव में प्राप्त नहीं हो पाता है। अतः उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियामावली 2009 की धारा 283 (2) एवं भारत सरकार द्वारा जारी “मॉडल वेलफेयर स्कीम” में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी निर्माण श्रमिकों एवं जन मानस को प्रदान करने के साथ श्रमिक पंजीयन, नवीनीकरण के सम्बन्ध में श्रमिकों को जागरूक करना इस योजना का उद्देश्य है। जिससे श्रमिक पंजीयन में अपेक्षित वृद्धि हो सके एवं अधिकाधिक पात्र निर्माण श्रमिकों को बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके।

3 योजना का प्रारूप :- निर्माण श्रमिकों की जागरूकता हेतु निम्न माध्यम होंगे—

1. निर्माण श्रमिकों की जागरूकता हेतु ऐसा आयोजन जो विशेष रूप से निर्माण श्रमिकों पर केन्द्रित होना चाहिए, जिसमें श्रम विभाग की पूर्ण सहभागिता हो तथा जिसमें कम से कम दो मण्डल या दो से अधिक मण्डलों द्वारा लाभ वितरण किया जाना सम्मिलित होना चाहिए।
2. बोर्ड मुख्यालय द्वारा निर्माण श्रमिकों के मोबाइल संख्या पर कल्याणकारी योजनाओं के वीडियो बनवाकर स्मार्ट फोन पर प्रसारित किये जायेंगे, तथा एस०एम०एस० के माध्यम से भी सूचित किया जायेगा।
3. सरकारी भवनों की दीवारों पर वालपेंटिंग, जागरूकता शिविर, नुक्कड़ नाटक और अन्य अभिनव साधनों के माध्यम से बी०ओ०सी० श्रमिकों हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे, जिसमें शहरी स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की भी सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी।

जागरूकता अभियान में विशेष रूप से बी०ओ०सी० श्रमिकों पर ही ध्यान केन्द्रित होगा और किसी भी सार्वजनिक या सरकारी प्रतिनिधि के नाम और तस्वीर के साथ नहीं होगा।

4. बजट/भुगतान प्रक्रिया:-

1. निर्माण श्रमिकों के जागरूकता हेतु किये जा रहे ऐसे आयोजनों के आकलन का मददार परीक्षण किया जायेगा तत्पश्चात उक्त प्रस्ताव के औचित्य को सही पाये जाने पर आयोजन कराये जाने की अग्रिम स्वीकृति अध्यक्ष बोर्ड द्वारा प्रदान की जायेगी जिसके अन्तर्गत नियमानुसार वित्तीय नियमों एवं इस हेतु जारी शासनादेशों का पालन सुनिश्चित किया

जायेगा, के औचित्य सही पाये जाने पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा सम्बन्धित क्षेत्रीय अपर श्रमायुक्त/उपश्रमायुक्त को की जायेगी (योजना के प्रारूप के बिन्दु संख्या-1 के संबंध में)।

2. बोर्ड द्वारा जागरूकता हेतु विभिन्न संचार माध्यमों हेतु बजट का प्राविधान बोर्ड द्वारा आवश्यकतानुसार वार्षिक कार्य योजना तैयार कर किया जायेगा।

5. कठिनाईयों का निवारण :-

योजना के क्रियान्वयन में आने वाले कठिनाईयों के निवारण हेतु सचिव, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड सक्षम होंगे तथा इस संबंध में कोई आदेश, दिशा-निर्देश अध्यक्ष, बोर्ड की सहमति से निर्गत कर सकते हैं एवं योजना के संचालन तथा नयी प्रक्रिया अपनाये जाने के बारे में अध्यक्ष बोर्ड निर्णय ले सकेंगे।

